

**कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, रायपुर (छ.ग.)**

(अधिसूचना धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और  
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013)

क्र./...२४२...../भू-अर्जन/2015

रायपुर, दिनांक २६/३/२०१५

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 6 में उनके नाम के सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः छ.ग. राजपत्र क्रमांक एफ-28/7-1/2014 दिनांक 02.03.2015 में दिए गए निर्देशानुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

☆☆ अनुसूची ☆☆

भूमि का विवरण					धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (व.मी.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	नारा	कुल खसरा 47 (सूची संलग्न)	कुल रकबा 7396 व.मी. (सूची संलग्न)	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर	छतौना दरबा कुटेसर बड़गांव गुण्डा नारा लखौली मार्ग चौड़ीकरण हेतु
योग			(47)	7396 व.मी.		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

२६/३/२०१५  
(ठाकुर राम सिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, रायपुर

रायपुर, दिनांक २६/३/२०१५

पृ.क्र./...२४२...../भू-अर्जन/2015

**प्रतिलिपि :-**

- 1 सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2 आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3 नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय छत्तीसगढ़ राजनांदगाँव को छ.ग.राजपत्र भाग-1 में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- 4 आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन सूचना पटल में कराया जाकर उसकी एक प्रति भेजने की व्यवस्था करेंगे । निगम की बैठक में वस्तु स्थिति के संबंध में चर्चा करने हेतु
- 5 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-01 रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र ,सूचना पटल में कराया उसकी एक प्रति भेजने की व्यवस्था करें । साथ ही समुचित सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे ।

6. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू अर्जन अधिकारी आरंग-अभनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. रायपुर को सूचनार्थ। वेबसाईड पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. तहसीलदार, आरंग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन जिला, अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम, संबंधित ग्राम पंचायत/प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति जैसे मुनादी कराने/जो विहित हो सूचना दिया जाकर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।
9. सचिव, ग्राम पंचायत नारा, तहसील आरंग को सूचनार्थ। उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने हेतु सूचनार्थ।
10. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 की कडिका (4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
11. भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11(5) उप धारा (1) के अधीन सूचना जारी किये जाने के पश्चात धारा-19 के अधीन घोषणा जारी किये जाने के पूर्व यथाविहित भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही एक माह के अवधि के भीतर संबंधित तहसीलदार पूरा कर जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

१० दि० २५/११/१५  
(ठाकुर राम सिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग, रायपुर

भू अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ग्राम नारा तहसील आरंग की अर्जित की रही भूमि का विवरण अनुसूची

क्रम	खसरा नम्बर	रकबा( वर्ग मीटर में )	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1	1664	34	
2	1666	100	"
3	1668	150	"
4	1669	104	"
5	1682	108	"
6	1684	368	"
7	1683	120	"
	1686	210	"
8	1803	42	"
9	1804 / 1	120	"
10	1804 / 2	100	"
11	1804 / 3	100	"
12	1805	384	
13	1824	16	
14	1825	16	
15	1826	224	
16	1831 / 1	264	
17	1832	96	
	1994	160	
	1995 / 1	184	
18	1970	120	
19	1990 / 2	32	
	1991	336	
20	1996	352	
21	1998	272	
22	1999	128	
	2000 / 2		
	2143 / 2		
23	2001	160	
24	2002	78	
	2005	90	
25	2006	66	
26	2008	48	
27	2009	36	
28	2010	88	
	2015	160	
29	2011	160	
30	2016 / 1	240	
31	2017	48	
32	2018	228	
33	2021	344	
34	2022	228	
35	2023 / 1	56	
36	2023 / 2	56	
37	2024	138	
38	2145	440	
39	2147	592	
	कुल 47खसरा	7396 व.मी.	

*Sky*

*rec hande*  
Sub Divisional Officer,  
PWD Survey Sub-Dn.,  
RAIPUR (C.G.)

*Gr*  
EXECUTIVE ENGINEER  
P. W. D. Div. No. 1,  
RAIPUR. (C.G.)